



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

दिनांक: 23/03/2026

फा. सं.: NCST/SER-521/DL/22/2022-SSW-RU-IV

सेवा मे,

श्री कौशल राज शर्मा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
दिल्ली जल बोर्ड,
वरुणालाय, फेज - II
झंडेवालान, करोल बाग,
नई दिल्ली - 11003
E.mail: ceodelhi[dot]djb[at]nic[dot]in

विषय: दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को पदोन्नति न देने के संबंध में -श्री नागेन्द्र प्रसाद, फीटर-II, Delhi Jal Board का दिनांक 19.04.2022 का अभ्यावेदन।

संदर्भ : NCST letter dated 01.05.2025 along therewith a copy of Minutes of the Sitting held on 28.08.2025

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, कोर्ट रूम, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 02.04.2026 को 13:50 Hrs बजे सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

(यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav)
निदेशक /Director

E.mail: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

प्रति, सिटिंग मे उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्री नागेन्द्र प्रसाद,
RZ 24, 25/289A गली नं. 5/A,
पश्चिम सागरपुर,
नई दिल्ली - 110046
(Mob No. 7011117995)

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading